

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुनीरा बनाम विरेन्द्र वगै०


हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र -212 संख्या वर्ष 2020

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 24.02.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 234/0.18, 10/0.18, 110/0.32 है० वाके ग्राम अलापुरजट्ट तहसील तिजारा को रहन, बय न करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(अलवर)

सीमान

का वर्ग फीस प्रत्या है

(A) लम्बायत लम्बाय है

(B) अन्त लोकाधिकार को अन्तर्गत है

दिया गया है

4. केविमट वाक कर्ष है)

एने अन्त अन्तुवा वाउ

के साथ संलग्न है

11/11/14

S.D. Officer

आचार्यजीक विचारित
आपकी को एक वक
क को 19 मई को
Regist. &
Deno notice
12/11/14

19/11/14 : पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में T.I आचार्य निजी
21/11/14 तक बहाली जारी है

21/11/14 : पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में T.I आ
निजी 21/11/14 तक बहाली जारी है

21/11/14 : पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में जारी ल
1 लगायत 2 & 3 लगायत 5 आचार्य नि
कचने को देखते हुए T.I दावे के स
अती तरह पर आदिन की जारी है